जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 17-04-2021

आज दिनांक 17.04.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

लाठी डंडों से लैस होकर उपद्रव व मारपीट के मामले में थाना दुधारा पुलिस द्वारा 08 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्रा** के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा लाठी डंडे से लैस होकर उपद्रव व मारपीट के मामले में मु0अ0सं0 121/2021 धारा 147 / 323 / 504 / 506 / 336 / 308 भादवि में नामित 03 अभियुक्तगण नामपता क्रमशः- 1- अब्दुल क्य्यूम हाजी पुत्र अब्दुल लतीफ 2- मोफीद पुत्र अब्दुल लतीफ 3- अब्दुल हाफीज पुत्र अब्दुल लतीफ निवासीगण पचपोखरी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर व मु0अ0स0 122 / 2021 धारा 147 / 323 / 504 / 506 / 336 / 308 भादवि में नामित 05 अभियुक्त नामपता क्रमशः- 1- महमूद आलम पुत्र अख्तर आलम 2- सहजाद खान पुत्र समशुदोहा 3- वसीम खान पुत्र औरंगजेब खान 4-समीर खान पुत्र दिलशाद खान 5- आदिल खान पुत्र फखरुजमा निवासीगण पचपोखरी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16.04.2021 को दो पक्षों के मध्य चुनावी रंजिश को लेकर एक राय होकर लाठी – डन्डों व ईंट पत्थर द्वारा एक दूसरे से मारपीट व एक दूसरे को देख लेने तथा जान से मारने की धमकी दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना दुधारा पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए उपरोक्त नामजद अभियुक्तों को

गिरफ्तार किया गया तथा अन्य नामित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर लगातार दबिश दी जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-प्रभारी चौकी पचपोखरी उ0नि0 श्री राममिलन यादव, का0 मैनेजर यादव।

थाना महुली पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध 32 बोर पिस्टल मय 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री अम्बरीष भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत **थानाध्यक्ष महुली श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 127 / 2021 धारा 147/148/149/323/504/307 भादवि में वांछित अभियुक्त जितेन्द्र गुप्ता पुत्र बालेदीन उर्फ रामकरन निवासी देवकली खुर्द थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया

विदित हो कि उक्त अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16.04.2021 को चुनावी रंजिश को लेकर लाठी डन्डों व अवैध असलहे से लैस होकर वादी सुनील यादव पुत्र रामसेवक यादव, कृष्ण मोहन पाण्डेय आदि के साथ मारपीट की गयी, मारपीट के दौरान जितेन्द्र गुप्ता पुत्र बालेदीन उर्फ रामकरन द्वारा अवैध 32 बोर पिस्टल से फायर किया गया जिसकी गोली आशुतोष यादव की जाँघ में जाकर लगी जिनको थाना महुली पुलिस द्वारा इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। तत्काल विधिक कार्यवाही करते हुए थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त 01 अदद 32 बोर पिस्टल मय 01 अदद जिन्दा कारतूस तथा अभियुक्त की निशानदेही पर 01 अदद खोखा कारतूस का बरामद किया गया।

बरामदगी का विवरण- घटना मे प्रयुक्त 01 अदद 32 बोर पिस्टल मय 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण –

उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र यादव, हे0का0 जितेन्द्र बहादुर राव, हे0का0 नरेन्द्र तिवारी।

नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित बालअपचारी गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर श्री सन्तोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेंहदावल **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 94/21 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 मे वांछित बालअपचारी नाम पता विवेक कुमार यादव पुत्र रामजी यादव निवासी पुरवा थाना मेंहदावल हाल मुकाम पक्का पोखरा थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त बालअपचारी द्वारा दिनांक 28.03.2021 को वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना मेंहदावल पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए अपहृता को बरामद करते हुए आज दिनांक 17.04.2021 को थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा उक्त आरोपी बालअपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री नत्थू प्रसाद मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 38 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 18 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

- **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1493 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 1493 को थाना बेलहरकला क्षेत्रान्तर्गत बौरिहार के पास से इवेन्ट संख्या 07232 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में दो व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 06 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटना मे घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजवाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध मे थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई गई । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ –आ0 सुजीत कुमार सिंह, आ0 अश्विनी राज, हो0चा0 अवधेश त्रिपाठी ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 45 वाहनो से 40000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 17.04.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 45 वाहनो से 40000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।